

C.F. 13-213

12

श्री

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

केम्प हन्दौर के समक्ष

राजस्व निगम प्रकरण क्र० 113

प्रस्तुति दिनांक 23/1/13

R-397-PBR/13

श्री अंबिकाश शर्मा
अभिगायक द्वारा
आज दिनांक 23-1-13
को इशोर केम्प पर प्रस्तुत

Gmy
23-1-13

रामचन्द्र पिता गोरधनजी माली,
पता- अमिक कालोनी, 20वीं रोड,
राऊ, हन्दौर (म०प्र०)

--- प्रार्थी

विरुद्ध

मेस्सrs गोकुल फार्म हाऊस,
द्वारा मुरली पिता जानचन्दजी मधानी,
पता- 33-बी, प्रेमनगर, हन्दौर

--- प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 40 म०प्र० मू राजस्व संहिता

श्रीमान के समक्ष विद्वान अधिनस्थ न्यायालय - अतिरिक्त तहसीलदार
श्री लखनसिंह चौधरी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 155 । अ- 6 ।
। 2010- 11 (मुरली व अन्य - विरुद्ध - रामचन्द्र) में
पारित आदेश दिनांक 28- 12- 2012 से असन्तुष्ट होकर प्रार्थी
द्वारा प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है :-



28-1-13

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 397-पीबीआर/13

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री जी.एस. भाटिया, अभिभाषक एवं अनावेदक की ओर से श्री राकेश पवार, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है ।</p> <p> अध्यक्ष</p>	<p> अध्यक्ष</p>